Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 131–2021/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, AUGUST 13, 2021 (SRAVANA 22, 1943 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 13th August, 2021

No. 18-HLA of 2021/62/20570.—Maharishi Balmiki Sanskrit University, Kaithal (Amendment) Bill, 2021, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:–

Bill No. 18-HLA of 2021

MAHARISHI BALMIKI SANSKRIT UNIVERSITY, KAITHAL (AMENDMENT) BILL, 2021

A

BILL

further to amend Maharishi Balmiki Sanskrit University, Kaithal Act, 2018.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:–

1. This Act may be called Maharishi Balmiki Sanskrit University, Kaithal (Amendment) Act, 2021. Short title.

2. In the heading of Maharishi Balmiki Sanskrit University, Kaithal Act, 2018 (hereinafter called the principal Act), for the words, “Maharishi Balmiki”, the words “MaharshiValmiki” shall be substituted. Amendment of heading of Haryana Act 20 of 2018.

3. In the short title of the principal Act, for the words, “Maharishi Balmiki”, the words “MaharshiValmiki” shall be substituted. Amendment of short title of Haryana Act 20 of 2018.

4. In clause (i) of section 2 of the principal Act, for the words, “Maharishi Balmiki”, the words “MaharshiValmiki” shall be substituted. Amendment of section 2 of Haryana Act 20 of 2018.

5. In sub-section (1) of section 3 of the principal Act, for the words, “Maharishi Balmiki”, the words “MaharshiValmiki” shall be substituted. Amendment of section 3 of Haryana Act 20 of 2018.

6. In the Schedule to the principal Act, for the words “Maharishi Balmiki” wherever occurring, the words “MaharshiValmiki” shall be substituted. Amendment of Schedule to Haryana Act 20 of 2018.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Maharishi Balmiki Sanskrit University, Kaithal, Act, 2018 (Haryana Act No. 20 of 2018) was enacted to supplement the initiative of government in expanding the capacity in higher education and to promote Sanskrit language and research therein.

The State University was established in the name of Maharishi Balmiki Sanskrit University, Kaithal by an Act of State Legislation but it was observed that the name of 'Maharishi Valmiki' in the Hindu mythology is different from the name used in Maharishi Balmiki Sanskrit University, Kaithal and thus, the name should be read as Maharshi Valmiki Sanskrit University, Kaithal. Henceforth, a proposal has been formulated to make the amendment in the Maharishi Balmiki Sanskrit University, Kaithal Act, 2018.

Hence, this Bill.

KANWAR PAL,
Education Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 13th August, 2021.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2021 का विधेयक संख्या 18 एच.एल.ए.

महर्षि बाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, कैथल (संशोधन) विधेयक, 2021
महर्षि बाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, कैथल अधिनियम, 2018
को आगे संशोधित
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम हो :—

1. यह अधिनियम महर्षि बाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, कैथल (संशोधन) अधिनियम, 2021, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. महर्षि बाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, कैथल अधिनियम, 2018 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) के शीर्ष में, ''महर्षि बाल्मीकि'' शब्दों के स्थान पर, ''महर्षि वाल्मीकि'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 2018 के हरियाणा अधिनियम 20 के शीर्ष का संशोधन।

3. मूल अधिनियम के संक्षिप्त नाम में, ''महर्षि बाल्मीकि'' शब्दों के स्थान पर, ''महर्षि वाल्मीकि'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 2018 के हरियाणा अधिनियम 20 के संक्षिप्त नाम का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (झ) में, ''महर्षि बाल्मीकि'' शब्दों के स्थान पर, ''महर्षि वाल्मीकि'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 2018 के हरियाणा अधिनियम 20 की धारा 2 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (1) में, ''महर्षि बाल्मीकि'' शब्दों के स्थान पर, "महर्षि वाल्मीकि" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 2018 के हरियाणा अधिनियम 20 की धारा 3 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की अनुसूची में, ''महर्षि बाल्मीकि'' शब्द जहां कहीं भी आएं, के स्थान पर, "महर्षि वाल्मीकि" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 2018 के हरियाणा अधिनियम 20 की अनुसूची का संशोधन।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

महर्षि बाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल अधिनियम, 2018 (2018 का हरियाणा अधिनियम संख्या 20) उच्च शिक्षा में क्षमता के विस्तार और उसमें संस्कृत भाषा और अनुसंधान को बढावा देने के लिए सरकार की पहल के पूरक के लिए अधिनियमित किया गया था।

राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना राज्य विधान के एक अधिनियम द्वारा महर्षि बाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल के नाम पर की गई थी, लेकिन यह देखा गया कि हिंदु पौराणिक कथाओं में महर्षि वाल्मीकि का नाम महर्षि बाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, कैथल में प्रयुक्त नाम से भिन्न है और इस प्रकार, नाम को महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल के रूप में पढा जाना चाहिए। अब से महर्षि बाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, कैथल अधिनियम, 2018 में संशोधन करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

अतः बिल प्रस्तुत है ।

कंवरपाल,
शिक्षा मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 13 अगस्त, 2021.

आर० के० नांदल,
सचिव।

9277—H.V.S.—H.G.P. Pkl.